Compensation to minor rape survivor: NHRC seeks report

PNN & AGENCIES

Kendrapada, August 13: The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Superintendent of Police, Jagatsinghpur, and the District Legal Services Authority (DLSA) to submit a report on whether compensation has been paid to a minor rape survivor under the Victim Compensation Scheme.

The Commission has asked the authorities to specify the amount sanctioned, the amount disbursed and the date of payment, if compensation has been paid. The compliance report is to be submitted within four weeks, according to an order issued by the Commission Thursday.

The NHRC passed the order while hearing a petition filed by human rights defender Sagar Jena.

The case relates to the alleged rape of a minor girl by her neighbour in Jagatsinghpur district on or before August 12, 2025. Based on media reports, the petition sought ₹10 lakh in compensation for the survivor and an action-taken report from the police.

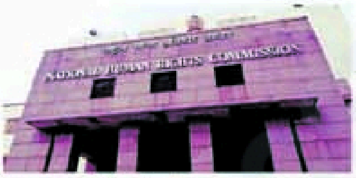

Taking cognizance of the matter, the NHRC December 29, 2025, directed the Jagatsinghpur SP to submit a report.

In response, the Additional SP, Paradip, in a report dated January 22, 2026, informed the Commission that a case had been registered at Abhayachandpur police station under Section 64(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Section 4(1) of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The investigating officer, SI D. Seth, visited the spot, recorded statements of witnesses under Section 180 of the BNS and arrested the accused, Kumar Daloi of Patana.

The accused was produced before a court, and a chargesheet was filed September 23, 2025, under Sections 64(1) and 62 of the BNS and Section 8 of the POCSO Act.

However, the Commission observed that the police report was silent on the issue of compensation to the survivor. In the fresh proceedings August 13, 2026, the NHRC directed the Jagatsinghpur SP and the DLSA to provide details of the compensation sanctioned and disbursed, along with the date of payment.

The authorities have been directed to submit the compliance report through the HRCNet portal by September 20, 2026.

Divya Bhaskar, Hisar, 14/08/2026
Page No: 2, Size: 17.12cm × 10.64cm

भास्कर खास एचएचआरसी ने अफसरों से रिपोर्ट तलब की, जर्जर स्कूल भवनों के आकलन के निर्देश

स्कूल गेट का आर्च गिरने से छात्र की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, स्कूलों की सुरक्षा जांच के आदेश

भास्कर न्यूज़ | सोनीपत

गन्नौर उपमंडल के गढ़ी बिलिंदा गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का आर्च गिरने से 11 वर्षीय यश की मौत के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने घटना को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जर्जर और असुरक्षित भवनों का व्यापक आकलन कराने के निर्देश दिए हैं।

6 अगस्त को स्कूल के मुख्य गेट की ईंट-कंक्रीट से बनी संरचना अचानक गिर गई थी। बताया गया कि चौकीदार गेट और पिलर पर उगी घास-बेलें हटाने का प्रयास कर रहा था। इन्हें खींचने के दौरान संरचना ढह गई, स्कूल के पास मौजूद यश मलबे में दब गया। उसे गन्नौर अस्पताल के बाद खानपुर स्थित भगत फूलसिंह राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में चौकीदार भी घायल हुआ था। आयोग ने कहा कि केवल असुरक्षित भवनों की पहचान करना पर्याप्त नहीं है। कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध और सत्यापन योग्य कार्रवाई जरूरी है। आयोग ने 2025 के हिसार के जर्जर स्कूल भवनों से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले का हवाला देते हुए यह भी पूछा कि उसमें दिए आश्वासनों और सिफारिशों को लागू किया गया या नहीं। पीठ ने स्कूल की सुरक्षा, पूर्व निरीक्षण, मरम्मत, जांच, लापरवाही की जिम्मेदारी और मृतक के परिजनों को मुआवजे की जानकारी मांगी है। सोनीपत के सभी सरकारी स्कूलों में कमजोर गेट, मेहराब, चारदीवारी और अन्य संरचनाओं का भी आकलन मांगा गया है। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को होगी।

जर्जर ढांचे की शिकायतों पर भी आयोग की नजर

आयोग ने स्कूल परिसर की कथित जर्जर स्थिति को गंभीरता से लिया है।

फूलों की बेल हटाने के दौरान स्कूल के गेट का आर्च गिरा, बच्चे की मौत

7 अगस्त को प्रकाशित समाचार

रिपोर्टों में स्कूल की दीवारों में दरारें, छत से पानी का रिसाव व अन्य संरचनात्मक कमियां होने की बात सामने आई है। स्कूल की मरम्मत व सुरक्षा को लेकर पहले भी चिंताएं जताई गई थीं, ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्राचार किए जाने की जानकारी आयोग के सामने आई है।

Source: https://www.republicworld.com/india/nhrc-seeks-answers-from-fssai-on-analogue-paneer-asks-states-for-clarification-over-its-sale-manufacture-2026-08-14-134687

NHRC Seeks Answers From FSSAI on 'Analogue Paneer', Asks States for Clarification Over Its Sale, Manufacture

The NHRC is addressing concerns over "analogue paneer" regarding its composition, safety, and consumer rights. It seeks clarifications from FSSAI on regulations, nutritional implications, and testing methods. Additionally, it requests states report on inspections and consumer information, following bans in several states after a complaint from ASIA.

Asian News International Updated 14 August 2026 at 09:26 IST

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of serious concerns relating to the manufacture, licensing, sale and consumption of "analogue paneer", particularly in relation to its composition, nutritional value, food safety and the protection of consumers' right to accurate information.

According to the NHRC, the Bench has sought to examine a fundamental question: what is the regulatory and nutritional justification for permitting a product substantially different from conventional milk-derived paneer to be manufactured and sold as a paneer substitute?

The Commission has sought detailed clarification from the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) regarding the regulatory status of analogue paneer, its permissible composition, nutritional implications, health concerns, applicable standards and testing methodology.

The bench has also sought clarification regarding scientific methods for distinguishing milk-derived paneer from products containing vegetable oils/fats and other non-milk ingredients, including the relevance of beta-sitosterol as a testing parameter.

The NHRC has further sought information from the Chief Secretaries of all States and Union Territories regarding the manufacture, supply, sale and serving of analogue paneer, including inspections, sampling, violations and enforcement action.

The bench has also sought to ascertain whether consumers are being given clear and adequate information about the identity, composition and nutritional characteristics of such products, so that they are able to make an informed choice.

The concerned authorities have been directed to submit Action Taken Reports within two weeks of receipt of the notices.

The NHRC's step comes a day after Madhya Pradesh banned the sale and use of analogue paneer, after similar bans were implemented in Gujarat, Chhattisgarh, and Maharashtra.

The matter came before the Commission on the basis of a complaint filed by the Advanced Study Institute of Asia

(ASIA), Centre for Health Equity, accompanied by its report titled "Analogue Paneer in India: A Food-Systems Threat to Health Equity." The Commission considered the issues raised in the complaint and the accompanying report while taking cognisance of the matter.

Published By: Melvin Narayan
Published On: 14 August 2026 at 09:26 IST

Source: https://risingkashmir.com/jammu-and-kashmir-news/kashmir/fresh-threat-lists-put-kashmiri-pandit-employees-on-edge-12257660

Fresh threat lists put Kashmiri Pandit employees on edge
RK Online Desk 13 Aug 2026 18:13 IST

Srinagar, Aug 13: Kashmiri Pandit employees working in Kashmir under the Prime Minister's Rehabilitation Package have raised fresh security concerns after alleged threat lists containing their names, departments, places of posting and personal mobile numbers began circulating in the Valley ahead of Independence Day.

In a representation submitted to the National Human Rights Commission and the National Commission for Minorities, the employees sought an immediate security audit and an inquiry into the alleged leak of their personal and service-related information.

According to the representation, threat lists have been circulating among employees in different departments over the past few days. The lists allegedly direct the employees to boycott official functions on August 15 and warn them of consequences if they do not comply.

The employees have questioned how confidential service details and personal mobile numbers reached groups issuing the threats, alleging that the circulation of such information could point to a serious lapse in data protection and security.

The representation also refers to similar lists circulated in 2022 and 2023, claiming that the names of 56 employees and later 57 PM Package teachers had appeared in such lists. It also refers to the targeted killings of Rahul Bhat and Rajni Bala, after which several employees had submitted mass resignations citing security concerns.

The employees said the latest threats have raised concerns about both their safety and privacy, particularly as the lists allegedly contain personal contact details.

They have sought an FIR and a probe by the Cyber Cell or NIA to establish the source of the alleged data leak and identify those responsible. They have also sought a security audit of PM Package employees and transit camps, particularly ahead of the Independence Day celebrations.

Among their other demands is permission for work from home or attachment with the Jammu Directorate until a fresh threat assessment is completed, citing a similar arrangement made in 2022. They have also sought a time-bound roadmap for security, accommodation and rehabilitation.

The representation recalls that many Kashmiri Pandit employees returned to the Valley under the Prime Minister's

Rehabilitation Package launched in 2008, after their community's mass migration during 1989-90. The employees said they returned with expectations of security and dignified rehabilitation.

Source: https://www.thehindu.com/news/national/kerala/toll-plaza-bottlenecks-put-motorists-in-a-bind/article71340882.ece

Toll plaza bottlenecks put motorists in a bind

Residents, road users blame toll plaza operators for failure to manage traffic effectively during technical glitches and disputes over toll payments
Published - August 14, 2026 07:30 am IST - Kozhikode

The Hindu Bureau

Motorists and residents' associations have urged the Kozhikode City police and the National Highways Authority of India (NHAI) to take immediate steps to address frequent traffic bottlenecks and alleged poor management at the Pantheerankavu toll plaza on the six-lane highway.

According to residents and road users, the toll plaza operators have failed to manage traffic effectively during technical glitches and disputes over toll payment. They claimed that some staff members lacked adequate training to handle such situations.

"In the name of technical hitches, motorists are forced to queue for several minutes on the six-lane highway. The toll plaza staff are not adequately trained to manage such situations or deal with emergency travellers," said Ratheesh Puthanpurakkal, a functionary of a local residents' association. He added that complaints about the alleged lack of training for toll plaza staff had been raised repeatedly.

Bus operators using the route have also complained about the absence of an effective grievance-redressal mechanism. According to them, disputes over toll collection errors often escalate as the staff are not adequately trained in customer service etiquette and handling complaints from road users.

"Owing to technical errors or insufficient balance, the toll payment system often shows vehicles as blacklisted. Toll collectors are not always prepared to handle such situations calmly and explain the matter to motorists," said V.P. Shajith, a driver. "Many a time, this leads to heated arguments in the middle of the road and delays other road users," he added.

'Separate space to resolve disputes'
He said a separate space should be provided near the toll plaza to resolve such disputes without disrupting traffic flow.

Residents' associations have also demanded the opening of service roads to allow residents to bypass the toll plaza wherever applicable. They alleged that assurances given to residents during the construction of the highway regarding access through service roads had not been fully honoured.

The complaints come against the backdrop of an earlier intervention by the National Human Rights Commission (NHRC). A few months ago, the District Collector was directed to examine complaints raised by a city-based human rights activist, including alleged misbehaviour by toll plaza staff towards road users. The complaints also

highlighted recurring traffic congestion at toll gates and difficulties faced by emergency vehicles.

The toll plaza operators, however, said road users were still unfamiliar with the automated toll-payment system, and that staff should not be held solely responsible for the problems. They maintained that technical issues and difficulties faced by motorists also contributed to delays at the plaza.

Police sources said complaints regarding the toll plaza were being examined by senior traffic police officers and that steps were being considered to address the problems. They said the district administration had also issued instructions to address the concerns amid increasing traffic on the highway.

Published - August 14, 2026 07:30 am IST

Source: https://www.rediff.com/news/commentary/2026/aug/14/why-is-analogue-paneer-still-being-allowed-to-be-made/37874de0c92839ba1464735e3f97736d

'Why is analogue paneer still being allowed to be made?'
Fri, 14 August 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of serious concerns relating to the manufacture, licensing, sale and consumption of "analogue paneer", particularly in relation to its composition, nutritional value, food safety and the protection of consumers' right to accurate information.

According to the NHRC, the Bench has sought to examine a fundamental question: what is the regulatory and nutritional justification for permitting a product substantially different from conventional milk-derived paneer to be manufactured and sold as a paneer substitute?

The Commission has sought detailed clarification from the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) regarding the regulatory status of analogue paneer, its permissible composition, nutritional implications, health concerns, applicable standards and testing methodology.

The bench has also sought clarification regarding scientific methods for distinguishing milk-derived paneer from products containing vegetable oils/fats and other non-milk ingredients, including the relevance of beta-sitosterol as a testing parameter.

The NHRC has further sought information from the Chief Secretaries of all States and Union Territories regarding the manufacture, supply, sale and serving of analogue paneer, including inspections, sampling, violations and enforcement action.

The bench has also sought to ascertain whether consumers are being given clear and adequate information about the identity, composition and nutritional characteristics of such products, so that they are able to make an informed choice.

The concerned authorities have been directed to submit Action Taken Reports within two weeks of receipt of the notices.

The NHRC's step comes a day after Madhya Pradesh banned the sale and use of analogue paneer, after similar bans were implemented in Gujarat, Chhattisgarh, and Maharashtra.

The matter came before the Commission on the basis of a complaint filed by the Advanced Study Institute of Asia (ASIA), Centre for Health Equity, accompanied by its report titled "Analogue Paneer in India: A Food-Systems Threat to Health Equity." The Commission considered the issues raised in the complaint and the accompanying report while taking cognisance of the matter. -- ANI

Source: https://thenewsmill.com/2026/08/nhrc-asks-fssai-and-states-for-clarification-on-analogue-paneer-sale-and-manufacture/

Nation and Beyond

NHRC asks FSSAI and states for clarification on analogue paneer sale and manufacture
By TNM (With ANI Inputs) ✓14 August 2026, 8:37 am

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken note of concerns regarding the manufacture, licensing, sale and consumption of "analogue paneer", especially in relation to its composition, nutritional value, food safety and consumers' right to accurate information.

The NHRC bench is examining the regulatory and nutritional justification for allowing a product significantly different from traditional milk-derived paneer to be produced and sold as a substitute.

The Commission has requested detailed clarification from the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) about the regulatory status of analogue paneer, including its permissible composition, nutritional effects, health concerns, applicable standards and testing methodology.

Additionally, the bench has sought information on scientific methods to distinguish milk-derived paneer from products containing vegetable oils or fats and other non-milk ingredients, including the relevance of beta-sitosterol as a testing parameter.

The NHRC has also asked Chief Secretaries of all States and Union Territories to provide information on the manufacture, supply, sale and serving of analogue paneer, including details of inspections, sampling, violations and enforcement actions taken.

The bench aims to determine whether consumers receive clear and adequate information about the identity, composition and nutritional characteristics of these products to make informed choices.

Authorities have been directed to submit Action Taken Reports within two weeks of receiving the notices.

This development follows Madhya Pradesh's recent ban on the sale and use of analogue paneer, after similar prohibitions in Gujarat, Chhattisgarh and Maharashtra.

The matter was brought before the NHRC following a complaint by the Advanced Study Institute of Asia (ASIA), Centre for Health Equity, along with its report titled "Analogue Paneer in India: A Food-Systems Threat to Health Equity." The Commission considered the issues raised in the complaint and report when taking cognisance of the case.

Source: https://www.dailyexcelsior.com/probe-data-leak-of-pm-package-employees-through-nia-kp-leader/amp

Probe data leak of PM package employees through NIA: KP leader

Daily Excelsior
03:48 AM Aug 14, 2026 IST

Excelsior Correspondent

SRINAGAR, Aug 13: Kashmiri Pandit leader and social activist, Rakesh Handoo has demanded registration of immediate FIR and investigation by the Cyber Cell or the National Investigation Agency (NIA) into the alleged data leak, a comprehensive security audit of PM package employees and transit camps before Independence Day.

In separate memorandums to National Commission of Human Rights (NHRC) and National Commission of Minorities (NCM) he further demanded temporary work-from-home for these employees or their attachment to Jammu until the threat assessment is completed, and implementation of a time-bound roadmap for security, accommodation and dignified rehabilitation is made.

The memorandum stated that PM package employees wish to continue serving in Kashmir but seek adequate security and protection to carry out their duties without fear.

Fresh concerns have emerged over the safety of Kashmiri Pandit employees appointed under the PM's rehabilitation package, Handoo said. The representations submitted to NHRC and NCM alleged circulation of threat letters containing the personal details of PM package employees ahead of Independence Day celebrations.

The representation, claimed that lists containing the names, departments, places of posting and personal mobile numbers of employees are being circulated with warnings asking them to boycott official Independence Day functions on August 15.

The memorandums alleged that such incidents have created fear among employees and their families.

The memorandums recalled that thousands of Kashmiri Pandits were displaced from the Valley during the 1989-90 militancy and that many returned under the Prime Minister's Rehabilitation Package introduced in 2008, relying on Government assurances regarding security and rehabilitation. It stated that despite their return, employees continue to face security concerns and uncertainty.

The representation also raised questions over the alleged leakage of confidential service records, claiming that the circulation of employees' personal information points to a serious breach of data security. It urged authorities

to investigate how sensitive official information allegedly reached anti-national elements and described the issue as a violation of the employees' right to privacy and right to life.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/nhrc-seeks-fresh-report-on-coaching-operators-arrest/amp_articleshow/133217989.cms

NHRC seeks fresh report on coaching operator's arrest
City |Faryal Rumi | Aug 13, 2026, 21:21 IST

Patna: National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed investigation report from Patna SSP Kartikeya K Sharma over the arrest of coaching institute operator Roshan Anand in connection with violence at Khan Global Studies in Musallapur Haat.

The commission has directed the SSP to submit the report by Sept 3, 2026, and warned that further action may be taken against responsible police officers if the report is not submitted within the stipulated period. The NHRC had earlier sought the report by June 30, but it was not received by the deadline.

Reacting to the development, the SSP told TOI on Thursday, "We have not received the notice yet. Once we receive it, we will reply according to the queries raised in the notice."

Anand, director of Gyan Bindu GS Academy, was arrested by Kadamkuan police in June following an incident involving alleged vandalism, assault and firing at the Khan Global Studies campus. His arrest later came under scrutiny amid allegations that police had treated him as a key accused or mastermind without conducting a proper investigation.

Questions were also raised over the police action in view of Anand's alleged kidney ailment. His side claimed his medical condition was not adequately considered before he was sent to jail.

Human rights activist Vishal Ranjan approached the NHRC on June 10, alleging that the police action against Anand was unfair and one-sided. The complaint also alleged that Anand had been implicated in the case under the influence of people associated with the rival coaching institute.

Taking cognizance of the complaint, a division bench of the NHRC sought a report from the Patna SSP. The commission is now seeking details of the circumstances leading to Anand's arrest, the evidence against him, the manner in which the investigation was conducted and whether prescribed legal procedures were followed.

The case is linked to the long-running rivalry between Faisal Khan alias Khan Sir and Anand. The dispute intensified after the violence at the Khan Global Studies campus. After his release from jail, Anand accused the police and his opponents of unfairly targeting him.

Amritvarsha News, Online News, 14/08/2026

Source: https://www.amritvarshanews.in/human-rights-commission-takes-a-tough-stance-on-roshan-anands-arrest/

रौशन आनंद की गिरफ्तारी पर मानवाधिकार आयोग सख्त, पटना एसएसपी से 3 सितंबर तक जांच रिपोर्ट तलब
By Amrit Versha August 13, 2026

ज्ञान बिंदु के निदेशक की गिरफ्तारी को लेकर उठे सवाल, आयोग ने निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया की पड़ताल के दिए निर्देश
जून में खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ और गोलीबारी के बाद हुई थी गिरफ्तारी, अब पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर
पटना। चर्चित कोचिंग संचालक रौशन आनंद की गिरफ्तारी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठे सवालों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा को पूरे मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट 3 सितंबर 2026 तक हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। रौशन आनंद पटना स्थित ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के निदेशक हैं। जून 2026 में मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़, मारपीट और गोलीबारी की घटना के बाद उनका नाम चर्चा में आया था। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद समेत कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की ओर से उस समय कहा गया था कि खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में घुसकर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोप में कार्रवाई की गई।
दो कोचिंग संस्थानों के विवाद से शुरू हुई कहानी
मुसल्लहपुर हाट में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा को इस विवाद की पृष्ठभूमि माना जाता है। 2 जून 2026 की रात खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में कुछ लोगों के पहुंचने के बाद विवाद बढ़ गया था। आरोप है कि परिसर में तोड़फोड़ और मारपीट की गई। इसके बाद सुरक्षा गार्डों की ओर से हवाई गोलीबारी किए जाने की बात भी सामने आई थी। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस ने मामले में रौशन आनंद को गिरफ्तार किया। बाद में खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े सुरक्षा गार्डों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब खान सर के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम से संबंधित मामला दर्ज होने की बात सामने आई।
गिरफ्तारी पर उठे सवाल आयोग तक पहुंचे
रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन ने 10 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच किए बिना रौशन आनंद को मामले में मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया। शिकायत में गिरफ्तारी के दौरान उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को पर्याप्त महत्व नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पटना पुलिस से रिपोर्ट मांगी।
समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने से बढ़ी सख्ती
आयोग की ओर से पहले पुलिस को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए 30 जून की समय सीमा दी गई थी। लेकिन निर्धारित समय में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब पटना एसएसपी को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अब पुलिस को अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना होगा। सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी किन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की गई। इसके अलावा पुलिस को यह भी बताना होगा कि गिरफ्तारी से पहले जांच किस दिशा में आगे बढ़ी थी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया या नहीं।
पुलिस की रिपोर्ट से साफ होगी आगे की दिशा
मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद अब पूरे मामले में पटना पुलिस की अगली रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो गई है। रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी को लेकर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और पुलिस ने मामले की जांच किस आधार पर की। फिलहाल यह मामला केवल दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। गिरफ्तारी, पुलिस की जांच और मानवाधिकार से जुड़े सवालों के कारण इसकी कानूनी अहमियत भी बढ़ गई है। आयोग के सख्त रुख के बाद पुलिस के सामने निर्धारित समय सीमा में तथ्यात्मक और विस्तृत रिपोर्ट देने की चुनौती है। अब सबकी नजर 3 सितंबर तक पटना पुलिस की ओर से आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर है। इसी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी और पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठाए गए सवालों पर जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं और आयोग आगे इस मामले में क्या रुख अपनाता है।

Dainik Bhaskar, Online News, 14/08/2026

Source: https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/rampur/shahabad/news/rampur-police-arrest-warrant-accused-shahbad-court-action-138718048.html

Hindi NewsLocalUttar pradeshRampurShahabadRampur Police Arrest Warrant Accused | Shahbad Court Proceedings

वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार:रामपुर पुलिस ने न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू की
विशाल कुमार जोशी | शाहबाद15 घंटे पहले

रामपुर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद में वांछित एवं गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शाहबाद पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को शाहबाद थाना पुलिस ने वारंटी अभियुक्त हरिओम पुत्र लीलाधर को गिरफ्तार किया। हरिओम ग्राम मधुकर, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर का निवासी है। उसके खिलाफ एक मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।

पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की गई। गिरफ्तारी के दौरान उसे एनबीडब्ल्यू वारंट और गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया। पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को संबंधित न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस का यह अभियान क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ लंबे समय से फरार अथवा न्यायालय से जारी वारंट वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

इस गिरफ्तारी अभियान में उपनिरीक्षक कपिल कुमार और हेड कांस्टेबल धीरज कुमार सहित पुलिस टीम शामिल थी।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-human-rights-commission-takes-notice-child-protection-workers-in-bihar-yet-to-receive-salaries-for-4-months-201786622448579.amp.html

परेशानी : बाल संरक्षण कर्मियों को चार माह से नहीं मिला वेतन
Aug 13, 2026 05:32 pm IST
By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ

बिहार में बाल संरक्षण कर्मियों को फरवरी से मई 2026 तक चार महीने का वेतन नहीं मिला है। इससे उनका घर का खर्च, बच्चों की फीस और इलाज प्रभावित हो रहा है। कर्मियों ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है और अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है।

परेशानी : बाल संरक्षण कर्मियों को चार माह से नहीं मिला वेतन शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, विभाग से मांगी रिपोर्ट 29 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई बिहारशरीफ, निज संवाददाता। मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत संविदाकर्मियों को फरवरी से मई 2026 तक यानि चार माह का वेतन नहीं मिला है। भुगतान लंबित रहने से कर्मियों के सामने घर का खर्च, बच्चों की फीस और इलाज तक की परेशानी खड़ी हो गई है। कर्मी श्रवण कुमार, माधुरी कुमारी, कुमार बिमलेन्दु, अभिषेक किशोर, बबलु पासवान व सतीश कुमार ने बिहार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत की है।

बिहार मानवाधिकार आयोग ने मामले को दर्ज कर समाज कल्याण विभाग के सचिव से आठ सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। कर्मियों ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। विभागीय स्तर पर भी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Amar Ujala, Online News, 14/08/2026

Source: https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/mp-news-nhrc-seeks-response-on-analog-paneer-fssai-and-states-must-submit-report-within-two-weeks-2026-08-14

MP News: एनएचआरसी ने 'एनालॉग पनीर' पर मांगे जवाब, एफएसएसएआई और राज्यों को दो हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 14 Aug 2026 08:40 AM IST

सार

एनएचआरसी ने बाजार में बिक रहे एनालॉग पनीर को लेकर सवाल उठाए हैं। आयोग ने एफएसएसएआई और सभी राज्यों से इसकी गुणवत्ता, बिक्री और जांच से जुड़ी जानकारी मांगी है।

विस्तार

दूध से बनने वाले पारंपरिक पनीर के विकल्प के रूप में बाजार में बिक रहे एनालॉग पनीर को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीर चिंता जताई है। आयोग की बेंच ने इस मामले में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से विस्तृत जानकारी मांगी है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व वाली बेंच ने एनालॉग पनीर के निर्माण, लाइसेंस, बिक्री और उपभोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। आयोग का कहना है कि इस उत्पाद की संरचना, पोषण मूल्य, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलने जैसे मुद्दों की जांच जरूरी है। आयोग ने प्रश्न उठाया है कि यदि किसी उत्पाद की संरचना पारंपरिक दूध से बने पनीर से अलग है, तो उसे पनीर के विकल्प के रूप में बनाने और बेचने का नियामकीय और पोषण संबंधी आधार क्या है।

फएसएसएआई से मांगी गई विस्तृत जानकारी
एनएचआरसी ने एफएसएसएआई से एनालॉग पनीर की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि इस उत्पाद के निर्माण के लिए कौन-से मानक निर्धारित किए गए हैं और इसकी संरचना में किन घटकों के इस्तेमाल की अनुमति है। इसके अलावा आयोग ने पोषण संबंधी प्रभाव, स्वास्थ्य से जुड़े संभावित जोखिम, गुणवत्ता जांच के मानकों और परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी है।

वैज्ञानिक परीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल
आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि दूध से बने पनीर और वनस्पति तेल, वसा तथा अन्य गैर-दुग्ध पदार्थों से तैयार उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए कौन-सी वैज्ञानिक परीक्षण पद्धति अपनाई जाती है। बेंच ने विशेष रूप से बीटा-सिटोस्टेरोल की भूमिका और उसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी मांगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ऐसे उत्पादों की पहचान किस प्रकार की जाती है।

राज्यों से मांगा कार्रवाई का पूरा ब्योरा
एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे एनालॉग पनीर के निर्माण, आपूर्ति, बिक्री और होटलों या अन्य प्रतिष्ठानों में इसके उपयोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही निरीक्षण, खाद्य नमूनों की जांच, नियमों के उल्लंघन और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण भी मांगा गया है।

उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल रही है या नहीं?
आयोग ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक संरचना और उसके पोषण संबंधी गुणों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जा रही है। आयोग का मानना है कि किसी भी खाद्य उत्पाद के बारे में सही जानकारी मिलना उपभोक्ताओं का अधिकार है, ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

दो सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट

एनएचआरसी ने संबंधित सभी अधिकारियों को नोटिस मिलने के दो सप्ताह के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला एडवांस्ड स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया (ASIA) के सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी की ओर से दायर शिकायत के बाद आयोग के सामने आया। शिकायत के साथ एनालॉग पनीर को लेकर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने शिकायत और रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों का अध्ययन करने के बाद इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच शुरू की है।

Source: https://dainiksaveratimes.com/punjab/national-human-rights-commission-member/?amp=1

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बठिंडा में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की
Suraj parkash Suraj parkash 22 hours ago

बठिंडा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने बठिंडा पहुंचकर जिला प्रशासन के साथ जिला प्रशासनिक परिसर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

रोजगार और कौशल विकास सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

बैठक के दौरान श्री कानूनगो ने युवाओं के रोजगार एवं कौशल विकास से जुड़ी दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना, बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, पॉक्सो मामलों की स्थिति, नमस्ते योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी न हो।

अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर

श्री कानूनगो ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए अधिकारियों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएं और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आयोग प्रतिबद्ध

मीडिया से बातचीत करते हुए श्री प्रियंक कानूनगो ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश के प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वे भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं।

भुच्चो में करीब 100 परिवारों से की मुलाकात

इससे पहले श्री कानूनगो ने भुच्चो और रामपुरा फूल का दौरा किया। भुच्चो में उन्होंने करीब 100 परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन को इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने संबंधी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

रामपुरा फूल में मृत पशुओं को उठाने की सुविधा पर निर्देश

इसी तरह रामपुरा फूल में मृत पशुओं को उठाने की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में भी उन्होंने प्रशासन को एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित समस्या का उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) मैडम कंचन, अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) श्री गुरप्रीत सिंह थिंद, नगर निगम आयुक्त मैडम लवजीत

कलसी, सहायक आयुक्त श्री गुरजिंदर पाल सिंह, उपमंडल मजिस्ट्रेट बठिंडा श्री अमनदीप सिंह मावी, जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी श्री अभिनव सहित विभिन्न विभागों और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

Source: https://firstbihar.com/bihar/patna-news/roshan-anand-arrest-nhrc-warning-patna-ssp-report-339100

रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर बड़ा मोड़! NHRC ने पटना SSP को चेताया, 3 सितंबर तक मांगा जवाब

रोशन आनंद की गिरफ्तारी मामले में NHRC ने पटना SSP को चेतावनी दी है। आयोग ने मामले की रिपोर्ट 3 सितंबर तक मांगी है। जानिए पूरा मामला।

Tejpratap
13 अगस्त 2026 को 07:46 am बजे IST 4 मिनट

Bihar News : पटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े गोलीबारी और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए कोचिंग संचालक रोशन आनंद को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को चेतावनी देते हुए मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। रिपोर्ट तय समय पर नहीं देने की स्थिति में आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

मामला खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुई मारपीट और गोलीबारी से जुड़ा है। पुलिस ने इस मामले में रोशन आनंद को कथित तौर पर घटना का सूत्रधार बताते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। आरोप है कि पर्याप्त जांच के बिना ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

इस पूरे मामले में मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन विशाल रंजन दफ्तुआर ने 10 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।

शिकायत के मुताबिक, रोशन आनंद को कथित तौर पर गलत तरीके से आपराधिक मामले में फंसाया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि कार्रवाई एकतरफा तरीके से की गई। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष और जांच की विस्तृत स्थिति सामने आना अभी बाकी है।

बताया गया है कि आयोग ने पहले पटना पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन निर्धारित समय तक रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद अब मामले में दोबारा जवाब तलब किया गया है। आयोग ने 3 सितंबर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इस मामले को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि रोशन आनंद के स्वास्थ्य को लेकर भी शिकायत में उल्लेख किया गया है। शिकायत के अनुसार, वह किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

अब निगाहें पटना पुलिस की रिपोर्ट पर टिकी हैं। आयोग के सामने पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में हुई, जांच के दौरान उनके खिलाफ क्या साक्ष्य सामने आए और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में सभी जरूरी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया या नहीं।

फिलहाल NHRC की ओर से चेतावनी सामने आने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। खास बात यह है कि आयोग ने सिर्फ जवाब मांगने तक मामला सीमित नहीं रखा है, बल्कि तय समयसीमा में रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में 3 सितंबर की तारीख इस पूरे मामले में अहम मानी जा रही है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि NHRC की कार्रवाई या शिकायत में लगाए गए आरोप अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष साबित नहीं करते। अंतिम स्थिति जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

Source: https://news4nation.com/amp/bihar/patna/khan-sir-roshan-anand-dispute-nhrc-seeks-report-from-patna-ssp-553058

Home/bihar/patna

रौशन आनंद की गिरफ्तारी में पटना SSP पर मानवाधिकार आयोग हुआ सख्त, 3 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट नहीं दी तो होगी कार्रवाई

खान सर और रौशन आनंद के बीच हुए विवाद में पटना पुलिस द्वारा रौशन आनंद को गिरफ्तार किये जाने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने अब पटना एसएसपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है

Edited By : Priya Darshan | Aug 13 2026 12:50 PM

Bihar News : पटना के चर्चित कोचिंग संचालक रौशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पटना पुलिस की कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को पूरे मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट 3 सितंबर 2026 तक हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने संकेत दिया है कि तय समय सीमा में रिपोर्ट नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

रौशन आनंद पटना स्थित ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के निदेशक हैं। उनका नाम जून 2026 में मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़, मारपीट और गोलीबारी की घटना के बाद सामने आया था। पुलिस ने रौशन आनंद समेत कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, उन पर खान ग्लोबल स्टडीज में घुसकर गार्ड के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में कार्रवाई की गई थी।

खान सर और रौशन आनंद का विवाद

खान सर और रौशन आनंद के बीच विवाद की जड़ पटना के मुसल्लहपुर हाट में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को बताया जाता है। 2 जून 2026 की रात खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में कुछ लोगों के पहुंचने के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि वहां तोड़फोड़ और मारपीट हुई। इसके बाद सुरक्षा गार्डों की ओर से हवाई फायरिंग की बात सामने आई। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग आरोप लगाए गए।

इस मामले में रौशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि बाद में खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े गार्डों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। खान सर पर भी हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला दर्ज हुआ था। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद मामला अदालत तक पहुंच गया।

NHRC तक कैसे पहुंचा मामला?

रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन ने 10 जून को NHRC में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच के बिना रौशन आनंद को मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया। शिकायत में यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी के दौरान उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पटना पुलिस से मामले की जांच रिपोर्ट मांगी थी। पहले रिपोर्ट देने के लिए 30 जून की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद आयोग ने अब सख्ती बढ़ा दी है।

अब पटना पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी किन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हुई, जांच किस दिशा में आगे बढ़ी और गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। इस पूरे मामले में NHRC की कार्रवाई ने पटना के चर्चित खान सर-रौशन आनंद विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अब पुलिस की अगली रिपोर्ट से यह साफ होगा कि गिरफ्तारी और जांच को लेकर उठाए गए सवालों पर उसका क्या जवाब है।

Dainik Bhaskar, Online News, 14/08/2026

Source: https://www.bhaskar.com/g/local/bihar/patna/news/patna-nhrc-probe-roshan-anand-arrest-news-update-138713108.html

Hindi NewsLocalBiharPatnaNHRC Probe Order: Patna SSP Summoned Over Roshan Anand Arrest Case

रौशन आनंद की गिरफ्तारी पर NHRC सख्त:पटना SSP से मांगी विस्तृत जांच रिपोर्ट, पूछा-किन सबूतों के आधार पर हुई थी गिरफ्तारी; 3 सितंबर डेडलाइन

पटना 23 घंटे पहले

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कोचिंग संचालक रौशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में पटना पुलिस की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट 3 सितंबर 2026 तक हर हाल में सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं मिलने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

मामला पटना के चर्चित कोचिंग संचालक रौशन आनंद की गिरफ्तारी से जुड़ा है। रौशन आनंद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक हैं।

जून 2026 की शुरुआत में मुसल्लापुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में तोड़फोड़, मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी पर उठे थे सवाल

रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। आरोप लगाया गया कि पुलिस ने पर्याप्त जांच किए बिना उन्हें मामले का मुख्य आरोपी या सूत्रधार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया।

यह भी आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के दौरान उनकी किडनी की बीमारी को भी ध्यान में नहीं रखा गया और उन्हें जेल भेज दिया गया।

इसी कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन ने 10 जून 2026 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। वे ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने रौशन आनंद के खिलाफ निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े लोगों के प्रभाव में आकर रौशन आनंद को आपराधिक मामले में फंसाया गया।

NHRC ने लिया मामले का संज्ञान

शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की खंडपीठ ने मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस से पूरी जांच रिपोर्ट मांगी थी।

आयोग की ओर से पटना एसएसपी को पहले 30 जून तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, तय समय सीमा में रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद आयोग ने अब इस मामले में सख्ती दिखाई है।

अब पटना पुलिस को 3 सितंबर 2026 तक विस्तृत और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट आयोग के सामने पेश करनी होगी। आयोग के निर्देश को अंतिम चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।

रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी

NHRC ने साफ किया है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है तो मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

ऐसे में अब पटना पुलिस के सामने न केवल घटना की जांच, बल्कि अपनी पिछली कार्रवाई का भी पूरा ब्योरा आयोग के सामने रखने की चुनौती है।

आयोग यह जानना चाहता है कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी किन तथ्यों और सबूतों के आधार पर की गई, पुलिस ने मामले की जांच किस तरह की और गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं।

खान सर और रौशन आनंद के बीच विवाद से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला पटना के दो चर्चित शिक्षकों और कोचिंग संचालकों—खान सर और रौशन आनंद—के बीच चल रहे विवाद की पृष्ठभूमि में सामने आया है। दोनों के कोचिंग संस्थानों के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा को लेकर चर्चा होती रही है।

मुसल्लापुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुई हिंसक घटना के बाद यह विवाद और बढ़ गया। घटना में तोड़फोड़, मारपीट और गोलीबारी के आरोप सामने आए थे। इसी मामले में रौशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी।

हालांकि, रौशन आनंद पक्ष की ओर से पुलिस की कार्रवाई को गलत और एकतरफा बताया गया था। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्रवाई और अपने विरोधी पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।

कोर्ट से मिल चुकी है जमानत

रौशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जमानत के दौरान कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को आपसी विवाद को लेकर नसीहत दी थी।

कोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, न कि विवाद हिंसा तक पहुंचना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी को दोनों कोचिंग संचालकों के बीच चल रहे विवाद को लेकर महत्वपूर्ण माना गया था।

अब NHRC की निगरानी में जांच

रौशन आनंद की गिरफ्तारी का मामला अब केवल पटना पुलिस की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर आयोग की भी नजर है।

अब 3 सितंबर तक पटना पुलिस को यह बताना होगा कि रौशन आनंद को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ क्या साक्ष्य थे और जांच के दौरान पुलिस ने सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया या नहीं।